

राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/कक्षा-कक्ष स्कुल/19-20/39852-63 दिनांक 24.10.19  
परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा/डूंगरपुर।

विषय : राजकीय विद्यालयो मे अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृतियों के क्रम में निम्नांकित विद्यालयो मे अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण प्रशासनिक स्वीकृतिया जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति सीमलवाडा, बांसवाडा एवं कुशलगढ से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्यो हेतु कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम व स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	प्रशा. स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		कार्यकारी एजेन्सी
				क्र/दि.	राशि	क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तीन कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा- राप्रावि दूढावाडा	रतनपुरा	सीमलवाडा	11000-30/28.2.19	12.00	AEN/PS SIMALWARA/131/02.09.19	12.00	ग्रा.पं.
2	दो कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा- राप्रावि रामरतनफला ग्राम रतनपुरा	रतनपुरा	सीमलवाडा	11000-30/28.2.19	8.00	AEN/PS SIMALWARA/132/02.09.19	8.00	ग्रा.पं.
3	दो कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा-राउमावि छापरिया	छापरिया	बांसवाडा	8111-18/14.2.19	20.00	AEN/PS Banswara/18/15.02.19	20.00	ग्रा.पं.
4	एक कक्षा-कक्ष निर्माण मय बरामदा-राउमावि गान्दवन ग्राम छोटी सरवा	छोटी सरवा	कुशलगढ	11000-30/28.2.19	10.00	AEN/PS kushalgarh/373/05.03.19	10.00	ग्रा.पं.
			योग		50.00		50.00	

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि रु. 1619.72 लाख मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्त-

1. यदि कोई कार्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का third party inspection समय-समय पर करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करावे।

5. विभागीय अभियंताओ एवं प्लेसमेंट के माध्यम से आई.टी.डी.पी. अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओ के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण करवाया जावेगा।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य पूर्णता पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
8. जिन कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विभाग इन कार्यों हेतु राशि का हस्तान्तरण संबंधित पंचायत समिति को करेंगे।

भवदीय  
अयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/कक्षा-कक्ष स्कूल/2019-20 39852-63 दिनांक 24.10.19  
प्रतिलिपी :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर बांसवाडा/डूंगरपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-77/18-19 जयपुर द्वारा Construction and development of laboratory in 113 newly upgraded Sr. Secondary Schools in Government Sr. Sec schools, colleges and other educational instiutions. हेतु प्राप्त राशि रु. 1619.72 लाख में से निम्नांकित विवरण अनुसार राशि हस्तांतरित करें।

क्र.स.	राशि जिसे हस्तांतरित करनी है।	हस्ता. योग्य राशि
1	परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा	30.00
2	परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर।	20.00
	योग	50.00

5. विकास अधिकारी, पं.स. कुशलगढ, बांसवाडा जिला बांसवाडा, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, डूंगरपुर।
7. प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. छपरिया पं.स. बांसवाडा/गान्दवन पं.स. कुशलगढ जिला बांसवाडा /प्रधानाध्यापक राप्रावि रतनपुरा पं.सं. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
9. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त अयुक्त (द्वितीय)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)